

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद्

(सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-12/98/ए/XI, दिनांक 10-01-2007 से एवं माध्यस्थ और सुलभ अधिनियम 1996 (1996 का संख्याक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित)

Email – msefc2016@gmail.com Tel.No- 0755-2558744

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश.

(चौथी मंजिल, विंध्याचल भवन, भोपाल – 462004)

प्रकरण कं0/एमएसईएफसी/1027/2019

भोपाल, दिनांक: 11 जून, 2020 | 260

आदेश

(आदेश पारित करने का दिनांक 09 जून, 2020)

आवेदक

मेसर्स द करी हाऊस फूड्स प्रा. लि.,
द्वारा श्री राशिद अली,
श्यामला हिल्स, श्यामला कोठी,
भोपाल – 462 002



विरुद्ध

अनावेदक

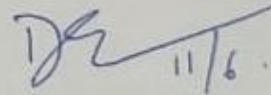
मेसर्स डूईट इण्डिया होटल्स (हैदराबाद)
प्रायवेट लिमिटेड,
द्वारा श्री सुधीर गुप्ता,
डूईट हाऊस 46, 5वीं मंजिल,
उद्योग विहार, फेस-4,
गुरुग्राम – 122015 (हरियाणा)

1. आवेदक मेसर्स 'द' करी हाऊस फूड्स प्रायवेट लिमिटेड, श्यामला हिल्स, भोपाल द्वारा 'मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद्', भोपाल के समक्ष दिनांक 27-09-2019 को अनावेदक मेसर्स डूईट इण्डिया होटल्स (हैदराबाद) प्रायवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा के विरुद्ध राशि रूपए 1,20,002,776.00 (रूपए एक करोड़ बीस लाख दो हजार सात सौ छियत्तर मात्र) एवं ब्याज राशि रूपए 13,17,053.00 (रूपए तेरह लाख सत्रह हजार त्रैपन मात्र) हेतु आवेदन/याचिका 'सूक्ष्म और लघु उद्यम अधिनियम 2006 की धारा 18 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर 6.75 प्रतिशत की दर से तीन गुना चकवृद्धि ब्याज की गणना अनुसार अपॉइन्टेड टेड से बकाया रकम में राशि जोड़कर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण की संक्षिप्त टीप –

2. प्रकरण में आवेदक द्वारा राशि रूपए 1,40,24,652.00 (रूपए एक करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार छः सौ बावन मात्र) के विभिन्न देयकों के माध्यम से होटल में खाद्य सामग्री प्रदाय की गई थी। उक्त देयकों के विरुद्ध अनावेदक द्वारा दिनांक 14-06-2019 को राशि रूपए 10,00,000.00 (रूपए दस लाख मात्र) एवं दिनांक 15-06-2019 को राशि रूपए 10,21,876.00 (रूपए दस लाख इक्कीस हजार आठ सौ छियत्तर मात्र) अर्थात् राशि रूपए 20,21,876.00 (रूपए बीस लाख इक्कीस हजार आठ सौ छियत्तर मात्र) का भुगतान आवेदक को किया जा चुका है।

3. 'मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद', भोपाल द्वारा प्रकरण में अनावेदक मेसर्स ड्यूईट इण्डिया होटल्स (हैदराबाद) प्रायवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा के विरुद्ध राशि रूपए 1,20,002,776.00 (रूपए एक करोड़ बीस लाख दो हजार सात सौ छियत्तर मात्र) एवं ब्याज राशि रूपए 13,17,053.00 (रूपए तेरह लाख सत्रह हजार नैपन मात्र) के विरुद्ध सुविधा परिषद के समक्ष उपस्थिति होने हेतु नोटिस दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया था।
4. 'सूक्ष्म और लघु उद्यम अधिनियम'-2006 की धारा 18(2) के अधीन आवेदक मेसर्स 'द' करी हाऊस फूड्स प्रायवेट लिमिटेड, श्यामला हिल्स, भोपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे एवं अनावेदक मेसर्स ड्यूईट इण्डिया होटल्स (हैदराबाद) प्रायवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा सुनवाई बैठक में अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा 'मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद', भोपाल के समक्ष प्रकरण में दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को आपसी सुलह अनुसार निष्पादित 'सेटलमेंट डीड' प्रस्तुत कर प्रकरण आपसी सुलह के माध्यम से समाप्त करने पर सहमति प्रदान की गई है।
5. 'मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद', भोपाल द्वारा दिनांक 09-06-2020 को प्रकरण में उभय पक्षों समक्ष में सुनने, 'सेटलमेंट डीड' दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 और उनकी सहमति अनुसार प्रकरण समाप्त किया जाता है।
6. प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभय पक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, 'मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद', भोपाल को आवेदन कर प्रति पृष्ठ हेतु रूपए 2/- (रूपए दो) के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।



(दीपाली रस्तोगी)

अध्यक्ष

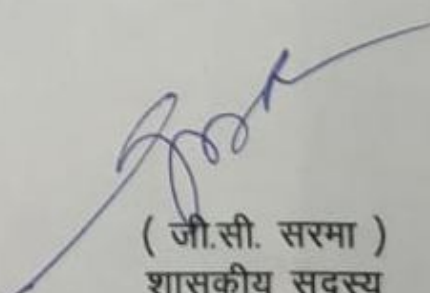
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद एवं उद्योग
आयुक्त, मध्यप्रदेश




(सी. मिज)

शासकीय सदस्य
एमएसईएसी
एवं

सहायक प्रबंधक
एमएसएमई विकास संस्थान,
भोपाल


(जी.सी. सरमा)

शासकीय सदस्य
एमएसईएसी
एवं

अतिरिक्त महाप्रबंधक
सिडबी, भोपाल.